

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 64/2018

दायरा दिनांक : 20.04.2018

उनवान

- 1- बरधा पुत्र लाला, जाति कहार, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 1/1- भूरीलाल पुत्र बरधा, जाति कहार, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 1/2- बरधी बाई बेवा बरधा, जाति कहार, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 1/3- उमा बाई पुत्री बरधा, जाति कहार, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 1/4- नाथी बाई पुत्री बरधा, जाति कहार, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 1/5- गुड्डी बाई पुत्री बरधा, जाति कहार, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

- 1- कंवर लाल पुत्र रतन लाल, जाति गूर्जर, निवासी गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 2- करन सिंह पुत्र रतन लाल, जाति गूर्जर, निवासी गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 3- लाल सिंह पुत्र रतन लाल, जाति गूर्जर, निवासी गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी
 एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज.)

- 4- सुजान सिंह पुत्र रतन लाल, जाति गूर्जर, निवासी गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 5- हेमराज पुत्र रतन लाल, जाति गूर्जर, निवासी गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 6- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
.... रेस्पोंडेंट

अपील संख्या 65/2018

दायरा दिनांक : 20.04.2018

उनवान

छगन लाल पुत्र लाला, जाति कहार, निवासी नाना गरडा, तहसील अकलेरा,
जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

- 1- कंवर लाल पुत्र रतन लाल, जाति गूर्जर, निवासी गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 2- करन सिंह पुत्र रतन लाल, जाति गूर्जर, निवासी गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 3- लाल सिंह पुत्र रतन लाल, जाति गूर्जर, निवासी गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 4- सुजान सिंह पुत्र रतन लाल, जाति गूर्जर, निवासी गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 5- हेमराज पुत्र रतन लाल, जाति गूर्जर, निवासी गरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
- 6- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़


(महेन्द्र लोख)

भू-प्रबन्ध अधिकारी

एवं

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निरस्त हाने योग्य हैं।



..... रेस्पोंडेंट

उपस्थित श्री इन्द्र लाल गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अभिभाषक रेस्पोंडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक : 22.12.2020

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या - 113/2010 व 114/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि ग्राम गरडा, तहसील अकलेरा के माल में जमाबंदी संख्या 131 रकबा 63 बीघा 16 बिस्वा आराजी रेस्पोंडेंट प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज थी । उसमें से मृतक रतन लाल जो कि रेस्पोंडेंट 1 लगायत 5 का पिता था । जिसका नामान्तरकरण नम्बर 74 दिनांक 08.07.1977 भी अपीलांट के पक्ष में तस्दीक हो गया था जिसका नोट जमाबंदी सम्वत 2031 से 2034 में दर्ज कर दिया गया था । उक्त आराजी वादी अपीलांट आज तक काश्त करता चला आ रहा है । नई जमाबंदी में इस इन्द्राज को हटाकर वापस रेस्पोंडेंट विक्रेता का नाम खाते में दर्ज कर दिया गया । अतः वादी अपीलांट को उक्त आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे । रेवेन्यु रेकार्ड में अमल किया जावे । रेस्पोंडेंट प्रतिवादी 1 लगायत 5 ने जवाबदावा मय काउंटर क्लेम हस्ब धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात

(महेन्द्र लोका)

भू-प्रबन्ध अधिकारी

एवं

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

कायम की गई । अपीलांट वादी ने अपनी साक्ष्य में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश किये । प्रतिवादी रेस्पोंडेंट ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किये बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट का वाद खारिज कर दिया, इससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय कानून एवं पत्रावली संग्रह सार के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 का निर्णय अपीलांट के विरुद्ध करने में भूल की है । उक्त तनकीयात के निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का कोई विवेचन नहीं किया है । इस प्रकार निर्णय सेल्फ स्पिकिंग नहीं होने से निरस्तनीय है । रेकार्ड में विवादित खसरा नम्बर 673 है, परन्तु सहवन से टाईप में 663 अंकन हो गया है, जो टाईपिंग की गलती है, समस्त रेकार्ड जमाबंदी, नामान्तरकरण सभी में विवादित खसरा नम्बर 673 ही दर्ज है । खसरा नम्बर 673 ही प्रतिवादी रेस्पोंडेंट के खातेदारी में दर्ज था और इसी खसरा नम्बर में से अपीलांट को बेचान हुआ है और इसी खसरा नम्बर का नामान्तरकरण भी अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किया गया है । परन्तु टाईपिंग की गलती से दावे में खसरा नम्बर 673 के स्थान पर खसरा नम्बर 663 टाईप हो जाने से यह सारी गढबडी हुई है । अपीलांट अनपढ़ गरीब काश्तकार है । उनके अभिभाषक का ध्यान भी इस ओर नहीं गया यह सिर्फ टाईपिंग की गलती थी जिसे न्यायालय भी सुधार कर सकता था अथवा करवा सकता था तथा धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय अपीलांट को यह रिलीफ दे सकता था । न्याय की दृष्टि से अपीलांट न्याय पाने के पात्र है । इस सम्बन्ध में पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी पेश है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2017 अपास्त किया जावे ।

(महेन्द्र लोडा)

भू-पञ्चा अधिकारी

एन

पदेन सहाय्य अधीन प्राधिकारी
कोटा (राज.)

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.04.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोंडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हमने धारा 88, 89, 91, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा कंवरलाल आदि के विरुद्ध पेश किया। खसरा नम्बर 663 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा में वादी को 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि का बेचान किया । यह खसरा नम्बर 663 न होकर खसरा नम्बर 673 है। खसरा नम्बर 673 की जमीन दिनांक 26.06.1977 को रतनलाल से खरीदी थी इसका इन्तकाज भी दिनांक 08.07.1977 को तस्दीक करवा दी । छगन के नाम नामान्तरकरण अमल दरामद जमाबंदी में नहीं हुआ । हमारे से टाईपिंग गलती हुई है । हमने दावे में 663 लिख दिया जबकि 673 होना चाहिए था । हमने अपील के साथ आर्डर 06 नियम 17 का प्रार्थना पत्र भी लगाया है । अतः संशोधन किया जावे । अपने पक्ष के समर्थन में 2018 (3) डी एन जे राजस्थान पेज 889, 2019 डी एन जे (एस सी) पेज 303 एवं आर आर टी 2017 (2) पेज 929 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । दोनों अपीलों में न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

(महेन्द्र लोका)

सू-पञ्चा अधिकारी

पदेन राजस्थान अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय तनकीवार निर्णय पारित किया तथा निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि वाद में अंकित आराजी खसरा नम्बर 663 से सम्बन्धित रिकार्ड वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा खसरा नम्बर 663 का रिकार्ड प्रस्तुत कर बेचान के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे गये हैं । किन्तु वाद के साथ खसरा नम्बर 673 का रिकार्ड प्रस्तुत किया । इसी प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा भी काउंटर क्लेम खसरा नम्बर 663 से सम्बन्धित पेश किया । प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादीगण की भूमि नहीं है । अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किया कि सहवन से वाद पत्र में खसरा नम्बर 663 लिख दिया था जबकि खसरा नम्बर 673 होना चाहिए इस सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलांट ने 2018 (3) डी एन जे राजस्थान पेज 889 प्रस्तुत की जो यहां चस्या होती है । संशोधन हेतु आर्डर 6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया । हमने अपीलांट की एक तरफा बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया । आर्डर 6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 64/2018 एवं 65/2018 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2017 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो रेकार्ड के आधार पर उभयपक्षों को सुनकर प्रकरण में विधि विरुद्ध निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.03.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा